फा.सं. 36039/1/2019-स्था. (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
19 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

विषयः भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण।

उपर्युक्त विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं.200113/01/2018-बीसी-II का संदर्भ दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रावधान करता है:-

"1. संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान में खण्ड 15(6) और 16(6) जोड़े जाने के अनुसरण में और आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्गों (ईडब्ल्यूएस) जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, को भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में अधिमान्य आधार पर आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभ लेने में समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

2. ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है, को आरक्षण के लाभ हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिन्हित किया जाना है। इस उद्देश्य से परिवार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसके अभिभावक और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसका/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे। आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से होने वाली आय शामिल होगी और ऐसी आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति हो अथवा ऐसी संपत्ति उनके स्वामित्व में हों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिन्हित नहीं किए जाएंगे भले ही उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो:-

- *i. 5 एकड़ अथवा उससे अधिक कृषि योग्य भूमि;*
- *ii. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;*
- *iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट;*
- *iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट।*

3. पैरा 2 में यथाउल्लिखित परिवारों की आय और संपत्तियों को ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तहसीलदार की रैंक से नीचे का न हो। प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथानिर्धारित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सभी संगत दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक प्रमाणित करने के पश्चात् प्रमाणपत्र जारी करेगा।

.....

5. नियोजन और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में अनुदेश क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।"

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा और यह दिनांक 01.02.2019 को या उसके पश्चात् अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा।

3. रोस्टर के प्रचालन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

ह0/-

(ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली।
3. लोक उद्यम बोर्ड, नई दिल्ली।
4. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
7. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग।
8. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
11. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
13. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. निदेशक, आईएसटीएम, पुराना जेएनयू कैम्पस, ओल्फ पालेम मार्ग, नई दिल्ली-110067.
15. **एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उक्त का.ज्ञा. को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।**